ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील निथ्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 18 / 2025 दिनांक मरजुआ : 03–07–2025 तारीख पेशी : 04–08–2025

उनवान मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

श्री कुंज लाल पुत्र स्व0 श्री डिहनू राम, निवासी गांव निन्था, डाकघर व उप–तहसील निथ्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता फरीकदोयम।

प्रार्थना पत्र.–U/S 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे।

श्री कुंज लाल पुत्र स्व0 श्री डिहनू राम, निवासी गांव निन्था, डाकघर व उप–तहसील निथ्थर, जिला कुल्लू ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया है जिसमें वर्णन किया गया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख फाटी निथ्थर में कुंजी लाल पुत्र डिहनू राम लिखा गया है जोकि गलत दर्ज हुआ है जबकि उसका नाम कुंज लाल है। पंचायत रिकार्ड निथ्थर, आधार कार्ड, बैंक रिकार्ड, पैन कार्ड, स्कूल प्रमाण–पत्र में कुंज लाल दर्ज है। अब प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व अभिलेख फाटी निथ्थर में कुंजी लाल पुत्र स्व0 श्री डिहनू राम के स्थान पर कुंज लाल पुत्र डिहनू राम दुरुस्त करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी निथ्थर में कुंजी लाल के स्थान पर कुंज लाल दुरुस्त करने बारा कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन / वकालतन तारीख पेशी 04–08–2025 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके राजस्व अभिलेख फाटी निथ्थर में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 03–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील निथ्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।